

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग,

सातवां तल, सी. विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं० फा.17/01/2012-प्र० सु०/12099-12261/८

दिनांक 17/10/12

अधिसूचना

सं० फा.17/14/03-प्र० सु०-इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० फा० 17/6/2001/ प्र० सु० अद्यतन यथा संशोधित के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 2 के खंड (क) एवं खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों /स्वायत्त निकायों/ स्थानीय निकायों/ उपक्रमों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ यहां संलग्न परिशिष्ट-11 में निम्नलिखित संशोधन / सम्मिलन करते हैं, अर्थात् :-

1. दिनांक 3/10/2001 की अधिसूचना के परिशिष्ट-11 में क्रम सं. 38 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित /सम्मिलन किया जायेगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
"38 क 1	पूर्व दिल्ली नगर निगम	उपायुक्त (भूमि एवं सम्पदा), भूमि एवं सम्पदा विभाग के मामलों के संबंध में ।
2		उपायुक्त (फैक्ट्री लाइसेंसिंग) फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग के मामलों के संबंध में ।
3		उपायुक्त (केन्द्रीय लाइसेंसिंग) केन्द्रीय लाइसेंसिंग एवं प्रवर्तन सैल के मामलों के संबंध में ।
4		उपायुक्त (आर.पी. सैल) लाभकर परियोजना सैल के मामलों के संबंध में ।
5		उपायुक्त (विज्ञापन) विज्ञापन विभाग के मामलों के संबंध में ।
6		प्रमुख अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग के मामलों के संबंध में ।
7		नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, जन स्वास्थ्य के मामलों के संबंध में ।
8		निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग के मामलों के संबंध में ।
9		मुख्य अभियंता (डीईएमएस) सफाई विभाग के मामलों के संबंध में ।
10		निर्धारक एवं समाहर्ता, निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के मामलों के संबंध में ।
11		मुख्य विधि अधिकारी / पद का प्रभार धारक अधिकारी, विधि विभाग के मामलों के संबंध में ।
12		निदेशक (बागवानी), बागवानी विभाग के मामलों के संबंध में ।
13		मुख्य लेखा एवं वित्त सलाहकार/ पद का प्रभार धारक अधिकारी, वित्त विभाग के मामलों के संबंध में ।
14		मुख्य नगर नियोजक /पद का प्रभार धारक अधिकारी, नगर नियोजन विभाग के मामलों के संबंध में ।
15		मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/पद का प्रभार धारक अधिकारी, वास्तुकला विभाग के मामलों के संबंध में ।
16		उपायुक्त, (शाहदरा दक्षिण जोन), शाहदरा दक्षिण जोन मामलों के संबंध में ।

17	उपायुक्त, (शाहदरा उत्तर जोन), शाहदरा उत्तर जोन मामलों के संबंध में ।
18	निदेशक (सी.एस.डी.), समुदाय सेवा विभाग के मामलों के संबंध में ।
19	मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग के मामलों के संबंध में ।
20	निदेशक (पी.एण्ड.आई)/पद का प्रभार धारक अधिकारी, प्रैस एवं सूचना विभाग के मामलों के संबंध में ।
21	नगर निगम सचिव, नगर निगम सचिव कार्यालय मामलों के संबंध में ।
22	आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन), आयुक्त कार्यालय के मामलों के संबंध में ।
23	उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में तथा शेष में शामिल न किये गये अन्य विषय ।
24	सतर्कता निदेशक, सतर्कता विभाग के मामलों के संबंध में ।
25	उपायुक्त (भाषा), भाषा विभाग के मामलों के संबंध में ।
26	उपायुक्त (सी.ई.डी.), स्थापना विभाग के मामलों के संबंध में ।
27	निदेशक (पशुपालन सेवा), पशुपालन सेवा मामलों के संबंध में ।
28	निदेशक, अस्पताल प्रशासन, अस्पताल / डिस्पेंसरी प्रशासन मामलों के संबंध में
29	निदेशक (आयुष), आयुष विभाग के मामलों के संबंध में ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
"38 ख 1	उत्तर दिल्ली नगर निगम	उपायुक्त (भूमि एवं सम्पदा)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, भूमि एवं सम्पदा विभाग के मामलों के संबंध में ।
2		उपायुक्त (फैक्ट्री लाइसेंसिंग)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग के मामलों के संबंध में ।
3		उपायुक्त (केन्द्रीय लाइसेंसिंग)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, केन्द्रीय लाइसेंसिंग एवं प्रवर्तन सैल के मामलों के संबंध में ।
4		उपायुक्त (आर.पी. सैल)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, लाभकर परियोजना सैल के मामलों के संबंध में ।
5		उपायुक्त (विज्ञापन) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, विज्ञापन विभाग के मामलों के संबंध में ।
6		प्रमुख अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग के मामलों के संबंध में ।
7		नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, जन स्वास्थ्य के मामलों के संबंध में ।
8		निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, शिक्षा विभाग के मामलों के संबंध में ।
9		मुख्य अभियंता (डीईएमएस)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, सफाई विभाग के मामलों के संबंध में ।
10		संयुक्त निर्धारक एवं समाहर्ता / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के मामलों के संबंध में ।
11		मुख्य विधि अधिकारी / पद का प्रभार धारक

		अधिकारी विधि विभाग के मामलों के संबंध में ।
12		निदेशक (बागवानी)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी बागवानी विभाग के मामलों के संबंध में ।
13		मुख्य लेखा एवं वित्त सलाहकार, वित्त विभाग के मामलों के संबंध में ।
14		मुख्य नगर नियोजक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, नगर नियोजन विभाग के मामलों के संबंध में ।
15		मुख्य वास्तुविद विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, वास्तुकला विभाग के मामलों के संबंध में ।
16		उपायुक्त, (सिटी जोन), सिटी जोन मामलों के संबंध में ।
17		उपायुक्त, (रोहिणी जोन), रोहिणी जोन मामलों के संबंध में ।
18		उपायुक्त, (सिविल लाईन जोन), सिविल लाईन जोन मामलों के संबंध में ।
19		उपायुक्त, (करोल बाग जोन), करोल बाग जोन मामलों के संबंध में ।
20		उपायुक्त, (नरेला जोन), नरेला जोन मामलों के संबंध में ।
21		उपायुक्त, (एस.पी जोन), एस.पी. जोन मामलों के संबंध में ।
22		निदेशक (सी.एस.डी.) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, समुदाय सेवा विभाग के मामलों के संबंध में ।
23		मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, श्रम विभाग के मामलों के संबंध में ।
24		निदेशक (पी.एण्ड.आई)/ विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, प्रैस एवं सूचना विभाग के मामलों के संबंध में ।
25		निगम सचिव, निगम सचिव कार्यालय मामलों के संबंध में ।
26		आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय के मामलों के संबंध में ।
27		अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में शामिल न किये गये अन्य विषय ।
28		सतर्कता निदेशक, सतर्कता विभाग के मामलों के संबंध में ।
29		अतिरिक्त आयुक्त (भाषा) / विभागाध्यक्ष भाषा पद का प्रभार धारक अधिकारी, भाषा विभाग के मामलों के संबंध में ।
30		निदेशक (कार्मिक) स्थापना विभाग के मामलों के संबंध में ।
31		निदेशक (पशुपालन सेवा), पशुपालन विभाग के मामलों के संबंध में ।
32		निदेशक अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के मामलों के संबंध में ।
33		निदेशक (आयुष), आयुष विभाग के मामलों के संबंध में ।
34		निदेशक (जॉच), जांच विभाग के मामलों के संबंध में ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
"38 ग	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (भूमि एवं सम्पदा) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, भूमि एवं सम्पदा विभाग के मामलों के संबंध में।
1		उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (फैक्ट्री लाइसेंसिंग) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग के मामलों के संबंध में।
2		उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (केन्द्रीय लाइसेंसिंग) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, केन्द्रीय लाइसेंसिंग एवं प्रवर्तन सैल के मामलों के संबंध में।
3		उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (आर. पी. सैल) / या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, लामकर परियोजना सैल के मामलों के संबंध में।
4		उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (विज्ञापन) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, विज्ञापन विभाग के मामलों के संबंध में।
5		प्रमुख अभियंता / या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, इंजीनियरिंग विभाग के मामलों के संबंध में।
6		नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, (ज.स्वा.) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, जन स्वास्थ्य के मामलों के संबंध में।
7		निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) या विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के मामलों के संबंध में।
8		निर्धारक एवं समाहर्ता या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, निर्धारण एवं संग्रहण विभाग के मामलों के संबंध में।
9		विधि अधिकारी या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, विधि विभाग के मामलों के संबंध में।
10		निदेशक (बागवानी) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, बागवानी विभाग के मामलों के संबंध में।
11		मुख्य लेखा एवं वित्त या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी, वित्त, योजना व प्रबंधन विभाग के मामलों के संबंध में।
12		मुख्य नगर नियोजक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, नगर नियोजन विभाग के मामलों के संबंध में।
13		मुख्य वास्तुशास्त्री या विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, वास्तुकला विभाग के मामलों के संबंध में।
14		उपायुक्त, (दक्षिण जोन), दक्षिण जोन मामलों के संबंध में।
15		उपायुक्त, (केन्द्रीय जोन), केन्द्रीय जोन मामलों के संबंध में।
16		उपायुक्त, (नजफगढ़ जोन), नजफगढ़ जोन मामलों के संबंध में।
17		उपायुक्त, (पश्चिम जोन), पश्चिम जोन मामलों के संबंध में।
18		निदेशक (सी.एस.डी.) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, समुदाय सेवा विभाग के मामलों के संबंध में।
19		मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, श्रम विभाग के मामलों के संबंध में।
20		

21	निदेशक (पी.एण्ड.आई) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, प्रैस एवं सूचना विभाग के मामलों के संबंध में ।
22	नगर निगम सचिव, नगर निगम सचिव कार्यालय मामलों के संबंध में ।
23	आयुक्त के सचिव, या विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, आयुक्त कार्यालय मामलों के संबंध में ।
24	अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में तथा शेष में शामिल न किये गये अन्य विषय ।
25	सतर्कता निदेशक / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, सतर्कता विभाग के मामलों के संबंध में ।
26	उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (भाषा) या विभागाध्यक्ष के रूप में अधिकारी, भाषा विभाग के मामलों के संबंध में ।
27	निदेशक (पशुपालन सेवा) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, पशुपालन सेवा मामलों के संबंध में ।
28	निदेशक (परसोनल) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, स्थापना मामलों के संबंध में
29	निदेशक, अस्पताल प्रशासन / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, अस्पताल / डिस्पेंसरी प्रशासन मामलों के संबंध में
30	निदेशक (पूछताछ) / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, पूछताछ मामलों के संबंध में ।
31	उप-लेखपाल (निगम), विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, निगम ऑडिट मामलों के संबंध में ।
32	मेयर के सचिव, / विभागाध्यक्ष पद का प्रभार धारक अधिकारी, मेयर कार्यालय मामलों के संबंध में ।
33	उपायुक्त / विशेष कार्याधिकारी / ए.डी.सी. (हैक्नी कैरिज) या विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अधिकारी हैक्नी कैरिज के मामलों के संबंध में ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

M. L. Datta
(डॉ० एम.एम. कुट्टी)
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

सं० फा.17/01/2012-प्र० सु०/12099-12261/C

दिनांक 17/10/12

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. समस्त प्रधान सचिव / सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / अतिरिक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
3. समस्त स्थानीय निकाय / स्वायत्त निकाय / उपक्रम तथा दिल्ली सरकार के स्वामित्व या द्वारा पोषित अन्य संस्थाएं ।
4. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री / मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
6. उप-सचिव (समन्वय), समन्वय शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
7. लाईब्रेरियन, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली ।

सीमा बावा
17/10/12
(सीमा बावा)

उप-निदेशक (प्रशासनिक सुधार)

दूरभाष : 23392422

No. F.17/01/2012/AR/12099-12261/c Delhi the 17/10 2012NOTIFICATION

No. F.17/14/03-AR/- In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments/additions in Annexure-II appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Departments/Autonomous Bodies/ Local Bodies/Undertakings under its control, namely:-

I. In Annexure-II to the said notification dated 03/10/2001, for the entries of Serial No. 38, the following shall be substituted/added, namely:-

S.No	Name of the Department	Competent Authority
"38 A 1	East Delhi Municipal Corporation	Deputy Commissioner (Land & Estate) in respect of Matters relating to Land & Estate Department.
2		Deputy Commissioner (Factory Licensing) in respect of matters relating to Factory Licensing Department
3		Deputy Commissioner (CL&EC) in respect of matters relating to Central Licensing & Enforcement Cell
4		Deputy Commissioner (R P Cell) in respect of matters relating to Remunerative Project Cell
5		Dy. Commissioner (Advertisement) in respect of matters relating to Advertisement Department
6		Engineer-in-Chief in respect of matters relating to Engineering Department
7		Municipal Health Officer in respect of matters relating to Public Health.
8		Director (Primary Education) in respect of matters relating to Education Department
9		Chief Engineer (DEMS) in respect of matters relating to Sanitation Department
10		Assessor & Collector in respect of matters relating to Assessment & Collection Department
11		Chief Law Officer/Officer holding charge of Post in respect of matters relating to Law Department
12		Director (Horticulture) in respect of matters relating to Horticulture Department
13		Chief Accountant-cum-Financial Advisor/Officer holding charge of post in respect of matters relating to Finance Department
14		Chief Town Planner/Officer holding charge of post in respect of matters relating to Town Planning Department
15		Chief Engineer (HQ)/Officer holding charge of post in respect of matters relating to Architect Department
16		Deputy Commissioner, Shahdara (South) Zone in respect of matters relating to Shahdara South Zone
17		Deputy Commissioner, Shahdara (North) Zone in respect of matters relating to Shahdara (North) Zone
18		Director (CSD) in respect of matters relating to Community Services Department

19		Chief Labour Welfare Officer in respect of matters relating to Labour Department.
20		Director (P&I)/Officer holding charge of post in respect of matters relating to Press & Information Department.
21		Municipal Secretary in respect of matters relating to Municipal Secretary Office.
22		OSD (Admn.) to Commissioner in respect of matters relating to Commissioner Office.
23		Deputy Commissioner (HQ) in respect of matters relating to HQ and issues other than those not covered by rest.
24		Director of Vigilance in respect of matters relating to vigilance Department.
25		Dy. Commissioner (Language) in respect of matters relating to Language Department.
26		Dy. Commissioner (CED) in respect of matters relating to Establishment Department.
27		Director (Veterinary Services) in respect of matters relating to Veterinary Services.
28		Director Hospital Administration in respect of matters relating to Hospital/Dispensaries Administration
29		Director (Ayush) in respect of matters relating to Ayush Department
S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38 B	North Delhi Municipal Corporation.	Deputy Commissioner (Land & Estate)/ Officer holding charge of HOD in respect of Matters relating to Land & Estate Department.
1		Deputy Commissioner (Factory Licensing)/ Officer holding the charge of HOD in respect of matters relating to Factory Licensing Department
2		Deputy Commissioner (CL&EC)/ Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Central Licensing & Enforcement Cell.
3		Deputy Commissioner (R P Cell)/ Officer holding the charge of HOD in respect of matters relating to Remunerative Project Cell
4		Dy. Commissioner (Advertisement)/ Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Advertisement Department
5		Engineer-in-Chief in respect of matters relating to Engineering Department
6		Municipal Health Officer in respect of matters relating to Public Health.
7		Director (Primary Education)/ Officer holding the charge of HOD in respect of matters relating to Education Department.
8		Director-in-Chief (DEMS)/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Sanitation Department
9		Assessor & Collector/ Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Assessment & Collection Department.
10		Chief Law Officer/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Law Department
11		Director (Horticulture)/ Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Horticulture Department
12		Chief Accountant-cum-Financial Advisor in respect of matters relating to Finance Department
13		Chief Town Planner/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Town Planning Department

15		Chief Architect/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Architect Department.
16		Deputy Commissioner, City Zone in respect of matters relating to City Zone
17		Deputy Commissioner, Rohini Zone in respect of matters relating to Rohini Zone.
18		Deputy Commissioner, Civil Line Zone in respect of matters relating to Civil Line Zone
19		Deputy Commissioner, Karol Bagh Zone in respect of matters relating to Karol Bagh Zone.
20		Deputy Commissioner, Narela Zone in respect of matters relating to Narela Zone.
21		Deputy Commissioner, SP Zone in respect of matters relating to SP Zone.
22		Director (CSD)/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Community Services Department
23		Chief Labour Welfare Officer/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to Labour Welfare Department
24		Director (P&I)/Officer holding charge of HOD in respect of matters relating to P&I.
25		Municipal Secretary in respect of matters relating to Municipal Secretary Office
26		Secretary to Commissioner in respect of matters relating to Commissioner Office.
27		Addl. Deputy Commissioner (HQ) in respect of matters relating to HQ and issues other than those not covered by rest of the Competent Authorities of MCD
28		Director of Vigilance in respect of matters relating to Vigilance Department.
29		Addl. Deputy Commissioner (Language)/Person holding charge of HOD Language in respect of matters relating to Language Department.
30		Director (Pers.) in respect of matters relating to Establishment Department.
31		Director (Veterinary Services) in respect of matters relating to Veterinary Services
32		Director Hospital Administration in respect of matters relating to Health Department
33		Director (Ayush) in respect of matters relating to Ayush Department
34		Director (Enquiry) in respect of matters relating to Enquiry Department.
S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38 C	South Delhi Municipal Corporation	Deputy Commissioner/OSD/ADC(Land & Estate) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Land & Estate Department.
1		Deputy Commissioner/OSD/ADC (Factory Licensing) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Factory Licensing Department
2		Deputy Commissioner/OSD/ADC/ (CL&EC) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Central Licensing & Enforcement Cell
3		Deputy Commissioner/OSD/ADC/ (R P Cell) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Remunerative Project Cell
4		Dy. Commissioner/OSD/ADC (Advertisement) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Advertisement Department
5		Engineering in Chief or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to EMS & Engineering Department
6		

7		MHO (PH) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Public Health
8		Director (Primary Education) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Education Department.
9		Assessor & Collector or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Assessment & Collection Department.
10		Law Officer or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Law Department
11		Director (Horticulture) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Horticulture Department
12		Chief Accountant-cum-Financial Advisor or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Finance and P&M Department
13		Chief Town Planner or the Officer functioning as HOD in respect of matters relating to Town Planning Department.
14		Chief Architect or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Architect Department
15		Deputy Commissioner (South Zone) in respect of matters relating to South Zone
16		Deputy Commissioner (Central Zone) in respect of matters relating to Central Zone
17		Deputy Commissioner (Nazafgarh Zone) in respect of matters relating to Nazafgarh Zone
18		Deputy Commissioner (West Zone) in respect of matters relating to West Zone
19		Director (CSD) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Community Services Department
20		Chief Labour Welfare Officer or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Labour Welfare Department.
21		Director (P&I) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to P&I.
22		Municipal Secretary or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Municipal Secretary Office.
23		Secretary to Commissioner or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Commissioner Office.
24		Addl. Deputy Commissioner (HQ) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to CCR, C&C, Care Taker, Commissioner Office, Enforcement and other miscellaneous Deptt in HQ.
25		Director (Vigilance) or the officer functioning as DOV in respect of matters relating to Vigilance Department.
26		Deputy Commissioner/OSD/ADC (Language) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Language Department.
27		Director (Veterinary Services) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Veterinary Services
28		Director (Personnel) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Establishment Department
29		Director Hospital Administration or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Health Department.
30		Director (Enquiry) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Enquiry Department

31		Deputy Municipal Auditor or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Municipal Audit.
32		Secretary to Mayor or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Mayor Office
33		Deputy Commissioner/OSD/ADC (Hackney Carriage) or the officer functioning as HOD in respect of matters relating to Hackney Carriage."

By Order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,



(DR. M.M. KUTTY)
PRINCIPAL SECRETARY (AR)

21/07/12
(SEEMA BAWA)
Deputy Director (AR)
PH 2202422

Copy to:-

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries/Joint Secretaries/Additional Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
2. All Heads of the Departments, Government of NCT of Delhi.
3. All Heads of Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially finance by the Government of NCT of Delhi.
4. Pr. Secretary to Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretaries to Ministers, Government of NCT of Delhi.
5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
6. Dy. Secretary (Coordination), Coordination Branch, General Administration Department, Government of NCT of Delhi for publication in the Delhi Gazette.
7. Librarian, Delhi Legislative Assembly, Delhi.

Seema
17/10/12
(SEEMA BAWA)
Deputy Director (AR)
Ph.23392422